



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- राजसमंद में सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियंता एवं एक प्राईवेट व्यक्ति 2 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 21 जून, मंगलवार/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भीलवाड़ा द्वितीय इकाई द्वारा आज भीम, राजसमंद में कार्यवाही करते हुये केशराम मीणा अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड-भीम, जिला राजसमंद एवं गोपाल सिंह रावत (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 2 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान की एवज में केशराम मीणा अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड-भीम, जिला राजसमंद द्वारा कमीशन के रूप में 5 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह के सुपरवीजन में एसीबी भीलवाड़ा द्वितीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह चारण के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री शिवप्रकाश हरगण एवं उनकी टीम द्वारा भीम, राजसमंद में ट्रेप कार्यवाही करते हुये केशराम मीणा पुत्र श्री तेजराम निवासी ग्राम जीवली, तहसील वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी बी-17, जेपी कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर हाल अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड-भीम, जिला राजसमंद को परिवादी से 2 लाख रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने निवास पर बैड के रैक में रखवाई। परिवादी का इशारा मिलने पर पहुंची एसीबी टीम को देखकर आरोपी अधिशासी अभियंता द्वारा रिश्वत राशि अपने एक सहयोगी गोपाल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत निवासी हिन्दोला, भीम, राजसमंद को कहकर रैक से उठवाकर गोपाल सिंह की पेंट की जेब में रखवा दी। एसीबी द्वारा आरोपी अधिशासी अभियंता एवं गोपाल सिंह को मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी अधिशासी अभियंता द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही 1 लाख रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर चुका था।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।